रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 1971/आषाढ़ 8, 1893

No. 359] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 1971/ASADHA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th June 1971

S.O. 2495.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Act, 1969 (19 of 1969), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government (Kendriya Sarkar) hereby rescinds the notification of the Government of India (Bharat Sarkar) in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) No. S.O. 2018, dated the 12th May, 1971, published at page 2913 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd May, 1971.

[No. F. 13/1/71-UTL-(i).]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 जून, 1971

का० आ० 2495.—साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, संघ राज्यक्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम, 1969 (1969

का 19) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 22 मई, 1971, के पृष्ठ 2913 पर प्रकाशित, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2018, तारीख 12 मई, 1971 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० फा० 13/1/71-यू० टी० एल०-(i)]

S.O. 2496.—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the notification of the Government of India (Bharat Sarkar) in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) No. S.O. 2019, dated the 12th May, 1971, published at pages 2913 and 2914 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd May, 1971, shall be cancelled.

[No. F. 13/1/71-UTL-(ii).]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

का० आ० 2496.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा निदेश करते हैं कि भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 22 मई, 1971 के पृष्ठ 2914 और 2915 पर प्रकाशित, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2019 तारीख 12 मई, 1971 रद्द हो ।

[सं० फा० 13/1/71-यू० टी० एल०-(ii)]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971